परिपत्र

सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 25 जनवरी 2022

सेवा में
सभी पंजीकृत रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए)
सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सभी सूचीबद्ध कंपनियां
सभी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार
निक्षेपागारों के माध्यम से सभी निक्षेपागार सहभागी (डीपी)

महोदय / महोदया,

विषय: निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करना

1. निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेनदेन को आसान बनाने के लिए चल रहे उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियां अब से प्रतिभूतियों को केवल (राजपत्र अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2022/66 दिनांक 24 जनवरी 2022 के माध्यम से) निम्नलिखित सेवा अनुरोध को संसाधित करते समय अमूर्तीकृत रूप में जारी करेंगी।

i. डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना;

ii. दावा न किए गए उचंत खाते से दावा;

iii. प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण / विनिमय;

iv. पृष्ठांकन;

v. प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन;

vi. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन;

vii. संचरण;

viii. स्थानान्तरण;

2. प्रतिभूति धारक/दावेदार इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों/विवरणों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर-4 (जारीकर्ता कंपनियों और आरटीए की वेबसाइट पर होस्ट किया जाना है) जमा करेंगे। उपर्युक्त पैरा 1 में मद संख्या iii से viii के लिए आरटीए / जारीकर्ता कंपनियां सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए मूल प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी।

3. आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां सेवा अनुरोधों को सत्यापित और संसाधित करेंगी और उसके बाद प्रतिभूति धारक/दावेदार को इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति भौतिक प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र के बदले 'पुष्टिकरण पत्र' 30 दिनों के भीतर आपत्ति हटाने के बाद जारी करेंगी, यदि कोई हो।

क. 'पुष्टिकरण पत्र' जारी होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके भीतर प्रतिभूति धारक/दावाकर्ता उक्त प्रतिभूतियों को अमूर्तीकृत करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा।

ख. आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां पुष्टिकरण पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेंगी, यदि ऐसा कोई अनुरोध आरटीए / जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रतिभूति धारक/दावेदार को उपरोक्त के रूप में डीमैट अनुरोध जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा।

ग. यदि प्रतिभूति धारक/दावाकर्ता उक्त अवधि के भीतर डीमैट अनुरोध प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां प्रतिभूतियों को कंपनी के उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में जमा कर देंगी।

घ. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश इस परिपत्र के **अनुलग्नक-क** में विस्तृत हैं।

4. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 और सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 में निर्धारित सामान्य मानदंड उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी सेवा अनुरोधों के लिए लागू होंगे।

5. स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागार को सलाह दी जाती है कि:

क) उपरोक्त परिपत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक उप-नियमों, नियमों और विनियमों, परिचालन निर्देशों, जैसा भी मामला हो, में आवश्यक संशोधन करना; तथा

ख) इस परिपत्र के प्रावधानों को अपने संघटकों के ध्यान में लाएं और इसे वेबसाइट पर भी प्रसारित करें।

6. सेबी के विनियम 101 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के साथ पठित यह परिपत्र प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है।

7. यह परिपत्र सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर "कानूनी ढांचा -> परिपत्र" श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीया,

आराधना वर्मा
उप महाप्रबंधक
बाजार मध्यस्थ विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग
दूरभाष नंबर. 022-2644 9633
ईमेल आईडी - aradhanad@sebi.gov.in

अनुलग्नक – क

(निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करने पर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी 2022 के लिए)

निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए प्राप्त प्रतिभूतियों के अमूर्तीकरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश

1. निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में प्रतिभूतियों को अमूर्तीकृत रूप में जारी करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं;

क. अनुरोध को सत्यापित करने और संसाधित करने के बाद, आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां प्रतिभूति धारक/दावेदार को पुष्टिकरण पत्र ("पत्र") (अनुलग्नक ख में प्रारूप) जारी करने के माध्यम से ऐसे प्रतिभूति धारक/दावेदार द्वारा प्रदान किए गए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले इसके निष्पादन/नए प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में सूचित करेंगी, जैसा कि लागू हो सकता है।

ख. पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूति धारक/दावेदार के फोलियो और डीमैट खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण होगा।

ग. पत्र आरटीए/जारीकर्ता कंपनियों द्वारा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिभूति धारक/दावेदार को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां ऐसे पत्र ई-मेल के माध्यम से ई-साइन और/या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भेज सकती हैं।

घ. पत्र जारी होने के 120 दिनों के भीतर, प्रतिभूति धारक/दावेदार डीमैट अनुरोध, मूल पत्र या ईमेल की एक प्रति के साथ ई-साइन और/या डिजिटल हस्ताक्षर, जैसा भी मामला हो, डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को प्रस्तुत करेगा।

ङ. आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां पुष्टिकरण पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेंगी, यदि ऐसा कोई अनुरोध आरटीए / जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रतिभूति धारक/दावेदार को उपरोक्त के रूप में डीमैट अनुरोध जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा।

च. उन प्रतिभूतियों के मामले में जिन्हें रुद्ध करना आवश्यक है, आरटीए डीमैट अनुरोध को स्वीकृत/पुष्टि करते समय, निक्षेपागार को रुद्ध और उसकी अवधि के बारे में सूचित करेगा।

छ. पुष्टिकरण पत्र की तारीख के 120 दिनों के भीतर प्रतिभूति धारक/दावेदार से डीमैट अनुरोध प्राप्त न होने की स्थिति में, शेयरों को कंपनी के उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

ज. आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों को बनाए रखेगा और इस परिपत्र के पैरा 1 में उल्लिखित सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण के बाद, प्रमाण पत्र के मुख्यपृष्ठ / पीछे की तरफ मुहर "पुष्टिकरण पत्र जारी किया गया" के साथ प्रमाण पत्र को विरूपित करेगा।

झ. निक्षेपागार सहभागी पुष्टिकरण पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए जारीकर्ता कंपनी / आरटीए को अग्रेषित करेगा।

ञ. पुष्टिकरण पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

अनुलग्नक-ख

(निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करने पर के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी 2022 के लिए)

आरटीए / जारीकर्ता कंपनी का नाम और पता

नाम: तारीख:
पता:

महोदय / महोदया,

पुष्टिकरण पत्र

विषय: निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अभौतिकीकरण रूप में प्रतिभूतियां जारी करना

कंपनी का नाम:

हम आपके नाम पर प्रतिभूतियां जारी करने के लिए आपसे प्राप्त अनुरोध का निर्देश हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अनुरोध को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकृत कर दिया गया है:

प्रथम धारक का नाम एवं स्थाई खाता संख्या संयुक्त धारक 1 एवं स्थाई खाता संख्या संयुक्त धारक 2 एवं स्थाई खाता संख्या	
शेयर की संख्या	
फ़ोलियो संख्या	
प्रमाणपत्र संख्या	
विशिष्ट संख्या	
लॉक-इन	हां या नहीं। यदि हां, तो ___/___/______ से ___/_____/______ तक लॉक-इन (दिन/माह/वर्ष)

जैसा कि आप जानते होंगे, सेबी ने राजपत्र अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/66 दिनांक 24 जनवरी, 2022 ने अनिवार्य किया है कि निवेशक सेवा अनुरोध के अनुसार जारी किए गए शेयर अब से केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे और इसलिए सुरक्षा प्रमाणपत्र (जहां लागू हो) को हमारी तरफ से प्रतिधारित रखा जाएगा।

तदनुसार, इस पत्र के 120 दिनों के भीतर, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी (**डीपी**) से इन शेयरों को डीमैटरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (**डीआरएफ**) का उपयोग करके डीमैट करने का अनुरोध करें। कृपया इस पत्र में वर्णित विवरण के साथ डीआरएफ भरें, इस पर हस्ताक्षर करें और अपने डीपी को डीमैट अनुरोध संख्या (**डीआरएन**) जुटाने के लिए सक्षम करने के लिए डीआरएफ के साथ इस पत्र को मूल रूप से अपने डीपी को प्रस्तुत करें। यदि आपके पास डीमैट खाता नहीं है, तो कृपया किसी भी डीपी के साथ एक खाता खोलें। कृपया ध्यान दें कि आप न्यूनतम/शून्य शुल्क पर बुनियादी सेवा डीमैट खाता खोल सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि **यह पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल 120 दिनों की अवधि के लिए वैध है**, जिसके भीतर आपको उपरोक्तानुसार डीपी के साथ डीमैट अनुरोध करना होगा। उपरोक्त 120 दिनों की समाप्ति के बाद डीमैट को संसाधित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और सेबी द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित शेयरों को कंपनी के एक उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

भवदीय/भवदीया,
कृते एबीसीडी लिमिटेड (आरटीए)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता